



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

संख्या: 53/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2019-20

दिनांक: 02 अगस्त, 2021

## विस्तृत विज्ञप्ति

### उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा- 2020

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2020 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-1/S-1/2020 दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के सापेक्ष दिनांक 21 मार्च, 2021 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति संख्या: 43/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/ सेवा-1/2019-20 दिनांक 20 जुलाई, 2021 एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति संख्या : 45/70/01/ डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2019-20 दिनांक 20 जुलाई, 2021 के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सन्निरीक्षा (स्कूटनी) कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में उपस्थित होने की सूचना प्रकाशित की गयी थी।

2. उक्त विज्ञप्ति के संबंध में मा0 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में तत्समय किये गये दावों एवं शर्तों के अनुरूप वैध शैक्षिक अभिलेख/प्रमाण-पत्र एवं अन्य दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों का मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान मुख्य परीक्षा के उपरान्त किया जाएगा। मा0 आयोग के उक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में दिनांक 09.08.2021 से 08.09.2021 तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के मिलान हेतु निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है।

3. इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु विषयवार एवं शाखावार पृथक-पृथक मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा शुल्क, प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन/अंकन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर पूर्व की भांति दिनांक 01.08.2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क की रसीद, प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता श्रेणी से संबंधित अंकन के प्रिंटआउट के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जिसमें अनुक्रमांक अंकित हो, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय को प्रेषित की जानी है।

4. ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की अंतिम तिथि 21.08.2021 एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शुल्क की रसीद सहित समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी स्वहस्ताक्षरित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किये जाने की अंतिम तिथि 01.09.2021 (सायं 06:00 बजे तक) निर्धारित की गयी है।

5. स्क्र्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा स्क्र्रीनिंग परीक्षा से पूर्व भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की नवीन प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, प्रिंटआउट के साथ, अपने दावों के समर्थन में निम्न तालिकानुसार शैक्षणिक/आरक्षण/अधिमानी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, दिनांक 01 सितम्बर, 2021 (बुधवार) की सायं 6.00 बजे तक (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें :-

- 1) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 2) इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका।
- 3) स्नातक उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 4) स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंक-तालिका (समस्त वर्षों/समस्त सेमेस्टर की)।
- 5) एल0टी0 डिप्लोमा या शिक्षाशास्त्र में स्नातक उपाधि (बी0एड0)।
- 6) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)।
- 7) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र।
- 8) विज्ञापन के बिन्दु सं0-2(2) में उल्लिखित नोट "समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अन्य अनिवार्य अर्हता" के सम्बन्ध में आनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख/प्रमाण पत्र।
- 9) यदि अभ्यर्थी राज्याधीन सेवा में सेवारत है, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- 10) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
- 11) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
- 12) जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या 716/70/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-01/ 2019-20 दिनांक 10 फरवरी, 2021 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड-पे 4800) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में अपनी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
- 13) यदि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए मूल औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर संलग्न करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।
- 14) मुख्य परीक्षा हेतु जमा किये गये ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के रसीद व आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।
- 15) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों/शाखाओं में सफल घोषित हुये हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन भरी गयी प्राथमिकता (Preference) सूची की प्रति एवं बहुदिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय के बहुदिव्यांग की उपश्रेणी के ऑनलाइन अंकन से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति।

16) उपरोक्त क्रमांक 1) से 15) पर वांछित अभिलेखों की चैकलिस्ट। (अभ्यर्थी वेबसाइट से चैकलिस्ट डाउनलोड कर चैकलिस्ट के अनुसार समस्त अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें)।

6. मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को शाखावार एवं विषयवार पृथक-पृथक (जितनी शाखाओं एवं विषयों हेतु सफल घोषित किया गया है, उनके लिए पृथक-पृथक शुल्क) अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

( Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर दिनांक 01 अगस्त, 2021 से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया गया है)

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रु० 150/-	रु० 26.55/-	रु० 176.55/-
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु० 150/-	रु० 26.55/-	रु० 176.55/-
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु० 150/-	रु० 26.55/-	रु० 176.55/-
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रु० 60/-	रु० 26.55/-	रु० 86.55/-
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रु० 60/-	रु० 26.55/-	रु० 86.55/-
06	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रु० 26.55/-	रु० 26.55/-
07	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

**नोट :-** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

7. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों/शाखाओं में सफल घोषित हुये हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के अन्तिम चयन परिणाम हेतु निम्न में से किसी एक आधार पर ऑनलाइन प्राथमिकता (Preference) दर्ज करनी है :-

i- विषय /शाखा के आधार पर प्राथमिकता (Preference) दर्ज किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राथमिकता दर्ज विषय एवं शाखा हेतु किया जायेगा।

ii- प्राप्तांक/शाखा के आधार पर प्राथमिकता (Preference) दर्ज किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन उच्च प्राप्तांक विषय एवं उच्च प्राथमिकता दर्ज शाखा हेतु किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विषय/शाखा में होने की दशा में, अभ्यर्थी द्वारा दर्ज प्राथमिकता (Preference) के आधार पर अभ्यर्थी को एक ही पद (विषय/शाखा) हेतु संस्तुत किया जाएगा।

8. ऐसे अभ्यर्थी जो बहुदिव्यांगता की श्रेणी में सफल घोषित हुये हैं, उन्हें विज्ञापन के बिन्दु संख्या-01 में दिव्यांजनों हेतु आरक्षित पदों के सापेक्ष विषयवार दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु अपनी धारित बहुदिव्यांगता श्रेणी के अन्तर्गत विभिन्न उपश्रेणी का ऑनलाइन चिन्हांकन/अंकन ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ करना होगा।

9. मुख्य परीक्षा हेतु एक से अधिक विषय/शाखा में सफल घोषित अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी अपनी बहुदिव्यांगता की उपश्रेणी का अंकन सावधानी पूर्वक एवं त्रुटिरहित करना सुनिश्चित करें। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकता (Preference) एवं बहुदिव्यांगता की उपश्रेणी के दावे में परिवर्तन के संबंध में किये गये अनुरोध/प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा किसी भी दशा में कोई विचार नहीं किया जाएगा।

10. अभ्यर्थी प्रत्येक चयनित विषय एवं शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ अभिलेखों का पृथक पृथक लिफाफा आयोग को प्रेषित करेंगे जिस पर "उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग- समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) मुख्य परीक्षा- 2020" एवं अनुक्रमांक तथा संबंधित विषय एवं शाखा का अंकन करते हुए आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

11. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा न करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ शैक्षणिक/आरक्षण/अधिमान्नी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति दिनांक 01 सितम्बर, 2021 (बुधवार) की सायं 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन मा0 आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

**Sd/-**

**(कर्मन्द् सिंह)**

**सचिव।**